भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2074

उत्तर देने की तारीख-17/12/2025

उभयलिंगी और जन्म से निर्धारित लिंग से अनुरूपता न रखने वाले छात्रों को परामर्श सेवा प्रदान करना

2074 **श्रीमती राजाथी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी और निजी विद्यालयों में नामांकित लड़के, लड़कियों, उभयलिंगी और जन्म से निर्धारित लिंग से अनुरूपता न रखने वाले छात्रों सहित विद्यार्थियों के लिंग संबंधी आंकड़े रखती है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार देश भर में विद्यालय स्तर पर उभयलिंगी छात्रों के लिए कोई दिशा-निर्देश, परामर्श सेवा समर्थन तंत्र या हेल्पलाइन सुविधाएं प्रदान करती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्यालयों में उभयलिंगी छात्रों और उनके परिवारों के लिए समावेशी मानसिक-स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): यूडाइज+ शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) प्लसके अनुसार (, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सरकारी और निजी स्कूलों में राज्य/संघराज्य क्षेत्र वार और लिंगवार नामांकन https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): समग्र शिक्षा का उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर के बच्चों के लिए सुलभ है।

एनईपी, 2020 में शिक्षा प्रणाली में एक समावेशी और संरचनात्मक परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। यह 'न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है जो इस विचार को प्रतिध्वनित करता है कि किसी भी बच्चे को उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान

के कारण शैक्षिक अवसरों के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एनईपी, 2020 में ट्रांसजेंडर बच्चों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के रूप में निर्धारित किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सभी छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। इसमें ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करने, समुदाय-आधारित कार्यकलापों के लिए सहायता शामिल है जो ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी के लिए स्थानीय संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं का समाधान करते हैं, जिसका उद्देश्य किसी भी जेंडर या अन्य एसईडीजी के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में किसी भी शेष असमानता को समाप्त करना है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित 'स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश' में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर 2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त निकायों और हितधारक मंत्रालयों को भेज दिए गए हैं। ये दिशा-निर्देश सलाहकार प्रकृति के हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रइन दिशानिर्देशों में परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं। इन सुरक्षा दिशा-निर्देशों में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के रूप में **बदमाशी-रोधी** समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सेफ्टी वॉक और शिकायत पेटियों आदि के गठन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों में बालिकाओं के लिए जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने, यौन शोषण और हिंसा, पालन-पोषण, बालिकाओं की सुरक्षा आदि पर ई-मॉड्यूल तैयार करने और उसका प्रसार करने और नियमित स्वास्थ्य प्रसव में छोटे बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम को एकीकृत करने के प्रावधान हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने फरवरी 2025 में स्कूली शिक्षा की प्रगति में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिंताओं को एकीकृत करने पर स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। मॉड्यूल एक समावेशी वातावरण के लिए एक संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है और सभी चरणों और स्कूल विषयों में विभिन्न शैक्षणिक कार्यनीतियों और स्कूल गतिविधियों का भी सुझाव देता है। मॉड्यूल को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया है और राज्यों/क्षेत्रों को उनके संदर्भ और उदाहरणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त स्थान देता है। मॉड्यूल का पहला भाग स्कूल के सभी कर्मचारियों : स्कूल के प्रमुख, शिक्षक, स्कूल के गैर-शैक्षणिक और सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ एसएमसी सदस्य और माता-पिता ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिंताओं के प्रति को संवेदनशील बनाने के लिए है जबकि दूसरा भाग शिक्षकों के लिए है और शैक्षणिक मामलों का समाधान करता है। मसौदा में मॉड्यूल स्कूल परामर्शदाता की भूमिका को भी परिभाषित किया गया है

******